न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन
(ए0एच0 गौरी आर0ए0एस0) बीकानेर

(1) अपील : 85/2007

छोटू देवी पत्नी दानाराम कुम्हार निवासी बीठनोक – तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर – मुकाम कोलायत — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलार्थीनी
2. श्री दामोदर दास व्यास, पैरोकारराज राज्य की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28–11–2017

अपीलार्थीनी ने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत न0 1 के आदेश दिनांक 25.5.1979 के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत श्री रामचंद्रसिंह एडवोकेट के माध्यम से यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 31.10.2007 को पेश की। अपील को समय सीमा मे पेश होना मान्य करने हेतु परिसीमा अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी के पति दानाराम को ग्राम बीठनोक के खसरा नम्बर 875 मिन की अस्थाई आवंटित भूमि 22 बीघा भूमि को अपीलकृत आदेश से इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि रकबा ज्यादा है। अपील मे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पूर्णतयः गैर हाजिरी मे, राजस्व रिकार्ड के विपरीत मौके की जॉच किये बिना तथा बिना किसी उचित आधार के निरस्त किया हैं, जो कानून एवं विधि के अनुसार निरस्त योग्य हैं। अपील की मियाद के क्रम मे निवेदन किया कि दिनांक 16.10.2007 को अपीलार्थीनी राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अस्थाई आवंटित भूमि के पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे गई तब आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी की तिथि से अपील अंदर प्रस्तुत की गई।प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड तलब किया गया । अपीलार्थीनी द्वारा नकल आरजी काश्त तकसीम चक बीठनोक स0 2036 रजिस्टर के दर्ज के क्रम स0 152 आधार पर अपील दायर की गई थी जो कि मूल रजिस्टर उपनिवेशन तहसीलदार से प्राप्त किया गया ।

प्रकरण मे बहस उभयपक्ष दिनांक 27.11.2017 को सुनी गई। दौराने बहस

छाया प्रति प्रमाणित

उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मियाद के क्रम में आरआरडी 1997 पेज 9 की नजीर प्रस्तुत की है। आरआरडी 1994 के पेज 250, आर.एल.डब्ल्यू 2014 पेज 1 की नजीरे पेश की। अपील के गुणावगुण पर निवेदन किया कि अपीलकृत आदेश उसकी गैर हाजिरी मे बिना किसी प्रकार की जॉच किये बिना पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

पेशकारराज का कथन हैं कि अपीलाधीन भूमि का नवीनीकरण संवत 2036 मे निरस्त किया गया। निरस्त करने का कारण अस्थाई आवंटी अपीलार्थीनी के पोते दानाराम के पास अधिक रकबा होना बताया हैं। इस संबंध मे अपील मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं कि अस्थाई आवंटित भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि नही हैं। इसके अतिरिक्त निवेदन किया कि अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो गौर योग्य नही है। अपीलाधीन भूमि नवीनीकरण निरस्त होने के पश्चात वर्तमान तक अपीलार्थीनी के कब्जा काश्त होने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य अपील मे प्रस्तुत नही किये गये हैं। अतः अपीलार्थीनी की अपील निरस्त की जावे तथा अपीलकृत आदेश यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन एवं रिकार्ड उपरान्त पाया गया कि दिनांक 25. 5.79 के आदेश की अपील वर्ष 2007 में लगभग 28--29 वर्ष बाद पेश हुई है। अपीलार्थीनी ने अपीलकृत आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.10.2007 को होना बताया हैं। इससे पूर्व अपीलाधीन भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है। अपीलकृत आदेश की जानकारी का स्त्रोत भी स्पष्ट नही हैं। यदि विवादित भूमि पर उसका विधि पूर्ण अधिकार से कब्जा काश्त होता तो वह भूमि के पुनः आवंटन के लिए पात्र होती है। मियाद के क्रम मे अपील पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण मे चस्पा नही होने के कारण अपील मे हुई देरी का माफ नही किया जा सकता। अपील के गुणावगुण पर भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ तथा ऐसा भी कोई अपील पक्ष द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उसके पास पूर्व से अधिक भूमि नही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थीनी मियाद एव गुणावगुण दोनों बिन्दुओं पर खारिज की जाती है तथा अपीलकृत आदेश यथावत रखा जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 28--11--2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए०एच० गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

सत्य प्रति प्रमाणित

उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर